सीमाशुल्कप्रधानआयुक्तकाकार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS

हवाईअड्डाऔरएयरकार्गोकॉम्प्लेक्सआयुक्तालय / AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX COMMISSIONERATE

एयरइंडियासाट्सएयरफ्रीटटर्मिनल, दूसरातल, देवनहल्ली, बेंगलूर

AIR INDIA SATS AIR FREIGHT TERMINAL 2ND FLOOR: KIAP: DEVANAHALLI BENGALURU– 560300 080-22001463/64

लोक सूचना सं /**PUBLIC NOTICE. NO. 04/2020 –** दिनांक/**DATED - 15.02.2020**

विषय :दिनांक 15.2.2020 से लदान बिल में अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने के सम्बंध में ।

Sub: Additional Information to be furnished in Shipping Bill w.e.f.15.02.2020- reg.

****

निर्यात कर्ता एवं सीमा शुल्क भवन एजेंट्स का ध्यान दिनांक 15.2.2020 से लदान बिल में अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने के सम्बंध में .आईसीएस सलाहकारी सं 06/2020 की ओर आकर्षित किया जाता है ।

Attention of Exporters and Cusoms House Agents is invited to ICES advisory No.06/2020, regarding the additional information to be furnished in the Shipping Bills w.e.f 15.02.2020.

2. सरकार ने प्रत्येक जिला को एक विशिष्ट वस्तु के लिये निर्यात केंद्र के रूप में परिणत करने के लिये निर्णय लिया है I आईसीएस सलाहकारी सं 06/2020 (अनुलग्नक) के अनुसार , निर्यात सम्बंधी डाटा को संगत बनाने के लिये दिनांक 15.2.2020 से लदान बिल में अपेक्षित अतिरिक्त सूचना के रूप में जिला स्तर के विवरण को शामिल करना है । निर्याततित वस्तु के मूल जिला एवं राज्य के विवरण के अलावा डाटा के स्तर को उन्नयण करने एवं नीति कारों को पी.टी.ए के अधीन किये जानेवाले निर्यात पर निगरानी रखने के लिए , कुछ अतिरिक्त डाटा जैसे मानक वजन कोड, (एस.कयु सी), जहाँ उपयुक्त होगा वहाँ विशेष /मुक्त व्यापार करार सम्बंधी विवरण एवं जी एस टी पारितोषिक सेस भी लदान बिल में शामिल किया जायेगा। दिनांक 15.2.2020 से लदान बिल में प्रस्तुत किये जानेवाले

अतिरिक्त सूचनाओं को एक विस्तृत सलाहकारी के रूप में संलग्नित किया गया है । राज्य एवं देश कोड की सूची भी संलग्नित है ।

Government has set an objective to turn each District as an export hub for specific goods. As per the ICES advisory 06/2020, (annexure) the additional information required to be furnished in the Shipping Bill for the purpose of Streamlining export data to include District level details in Shipping Bills w.e.f. 15.02.20. In addition to the District and State of Origin of the export goods, certain additional data like Standard Unit Quantity Code (SQC), Preferential/Free Trade Agreement (PTA/FTA) related details where applicable and GST Compensation Cess will also be captured in the Shipping Bill for improving the data quality as well as help policy makers in monitoring exports under PTAs. The details of the additional information to be furnished from 15.02.20 in the Shipping Bill is attached as a detailed advisory. The list of state and country codes is also attached.

3. आगे प्रत्येक लदान बिल के लिए अनिवार्य रूप से ई संचित में बीज़क अपलोड करना ,एवं दस्तावेज कोड एवं इमेज रेफरंस संख्या, (आई.आर.एन) को एसबी में घोषित करना दिनांक 15.2.2020 से लागू है । दिनांक 15.2.2020 से लदान बिल में घोषित प्रत्येक बीझक के लिए, ई संचित से निकाले गये आई.आर.एन को नीचे दिये गए अनुसार संगत दस्तावेज कोड को प्रस्तुत करना है ।

Further another change becoming effective from 15.02.2020 is mandatory uploading of Invoice in E- SANCHIT for every shipping bill and subsequent declaration of document code and Image Reference Numbers (IRNs) in the SB. W.e.f. 15.02.2020, for every invoice declared in the Shipping Bill, the reference of IRN generated from e-Sanchit with relevant document code as given below must be provided

380000-बीझक/Invoice

331000 बीझक एवं पैंकिंग सूची/Invoice cum packing List

टिप्पण : / **Note:** निर्यात बीझक में कम से कम उपर्युक्त दस्तावेज कोड में से एक उपलब्ध होना चाहिए ।

At least one of the above document codes should be available for every export Invoice.

4. सभी निर्यातकर्ता, सीमा शुल्क एजेंट से अनुरोध है कि उचित अनुपालन के लिए इसका नोट करें ।

All the exporters, Customs House Agents, are requested to take note for suitable compliance.

5. अगर इस लोक सूचना के कार्यान्वयन में कोई जकलीफ पायी गयी तो उसको अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाए ।

Difficulty, if any, in implementation of this Public Notice may be brought to the notice of the undersigned.

अशोक

(अशोक/ASHOK)

प्रधान आयुक्त/PRINCIPAL COMMISSIONER

फाईल सं C.No.VIII/48/276/2020 BACC TECH

से जारी किया जा रहा है / Issued from File C.No.VIII/48/276/2020 BACC TECH

अनुलग्नक/Annexure- ICES advisory 6/2020.

प्रति प्रस्तुत / Copy submitted to:

1) मुख्य आयुक्त, सीामा शुल्क, बेंगलूरु अंचल, केंद्रीय राजस्व भवन, बेंगलूरु
The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building, Bengaluru

प्रति प्रेषित/ Copy to:

1) सभी अपर/संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त, एयरपोर्ट एवं एसीसी आयुक्तालय बेंगलूर
All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate, Bengaluru
2) कर्नाटक संघ, चैंबर ऑफ कामर्स एवं औद्योग, (एफ.के.सी.सी.आई) सं9996, कैंपेगौड़ा रोड़, गांधीनगर, बेंगलूरु।
Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI), No.9996, Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru
3) बेंगलूरु सीमा शुल्क ब्रोकर्स एजेंट, सं 71, कार्गो विल्लेज, बी-ब्लाक,बेंगलूरु,अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, देवनहल्ली, बेंगलूरु
Bangalore Customs Brokers Agents Association, No.71, Cargo Village, B-Block, Bengaluru International Airport, Devanahalli, Bengaluru
4) भारतीय निर्यातकर्ता संस्थान संघ, (एफ.आई.एफ.ओ) 1 तल, वी.आई.टी.सी भवन, कस्तूरीबा रोड़, बेंगलूरु
Federation of Indian Export Organisation (FIFO),IstFloor,VITC Building, Kasturba Road, Bengaluru
5) बेंगलूरु सीमा शुल्क वेब साईट /Bengaluru Customs Website
6) सूचना पट्ट /Notice Board.
7) बेंगलूरु के सभी कोरियर एजेंसीस/ All Courier Agencies Operating at Bengaluru
8) मास्टर फाईल/ Master file